

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में AES के State Task Force की समीक्षात्मक Virtual बैठक की कार्यवाही :-

तिथि एवं समय- 09.06.2025 अपराह्न 04:30 बजे

स्थल- मुख्य सचिव अधिवेशन कक्ष

उपस्थिति:-

- अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार
- सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार
- प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार
- प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार
- सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार
- सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार
- सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार
- सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार
- सचिव, परिवहन विभाग, बिहार
- सचिव, अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण विभाग, बिहार
- परियोजना निदेशक, जीविका, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन, परियोजना, बिहार
- कार्यपालक निदेशक-सह-नोडल पदाधिकारी (AES), राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार
- विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार
- जिला पदाधिकारी, पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, सीतामढ़ी एवं शिवहर, बिहार
- उप सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार
- निदेशक प्रमुख (प्रशासन), निदेशालय, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार
- अपर निदेशक-सह-राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (VBD) मुख्य मलेरिया कार्यालय, बिहार
- प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा-11), स्वास्थ्य विभाग, बिहार
- सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा-11), स्वास्थ्य विभाग, बिहार
- सहायक निदेशक, औषधि, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार
- वेक्टर रोग नियंत्रण पदाधिकारी-सह-राज्य प्रभारी AES, मुख्य मलेरिया कार्यालय, पटना
- डॉ० एस०एस० रेड्डी, Health Specialist Unicef, पटना

पटना, दिनांक ... / ... / ...

1. सर्वप्रथम, सचिव स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा 12 अतिप्रभावित चिन्हित AES जिलों में AES नियंत्रणार्थ की गई तैयारियों का प्रस्तुतिकरण किया गया जिसके मुख्य बिंदु निम्नवत् हैं:-

- (क) सचिव, स्वास्थ्य विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि 12 अतिप्रभावित AES जिलो में AES नियंत्रणार्थ प्रचार-प्रसार के लिए AES के Audio, Video, पम्पलेट्स एवं LED Wall सहित 12 विशेष गाड़ियों को माननीय स्वास्थ्य मंत्री, बिहार सरकार द्वारा दिनांक 01.06.2026 को Flag Off किया गया। ये विशेष वाहन चिन्हित 12 जिले यथा— पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, सीतामढ़ी एवं शिवहर के भिन्न-भिन्न गाँवों में एक माह तक प्रचार-प्रसार करेंगे। दिनांक 06.06.2026 तक विशेष वाहन द्वारा इन्हीं जिलों के 49 प्रखण्डों के 318 गाँवों में 34817 लोगो तक सूचनाओं का सम्प्रेषण किया जा चुका है।
- (ख) AES की मार्गदर्शिका एवं विभिन्न प्रकार के प्रपत्र/IEC सामग्री स्वास्थ्य विभाग, बिहार एवं राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के Web Portal पर upload कर दिए गए हैं।
- (ग) वर्ष 2026 में 08 जून 2026 तक कुल 43 AES के मरीज 12 जिलों से प्रतिवेदित हुए हैं।
- (घ) प्रातः 04 बजे से 06 बजे के बीच चिकित्सकों की उपस्थिति दर्पण प्लस ऐप के माध्यम से की जा रही है।
- (ङ) 959 BLSA, 229 ALSA एवं 135 मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना से Ambulance को पचायत स्तर तक Tagging किया गया है। अपने निजी वाहन से दूरी के हिसाब से मरीज को स्वास्थ्य केन्द्र पर लाने पर नगद राशि के भुगतान का प्रावधान किया गया है।
- (च) SOP-2025 में मानक के अनुरूप वर्णित अनुमान्य दवाएँ एवं उपकरण सभी स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध हैं।
- (छ) JE की टीकाकरण एवं Routine Immunization के अन्तर्गत बच्चों को JE I एवं JE II को टीकाकरण किया जा रहा है। जिस जिला में JE I एवं JE II का अच्छादन कम है उसको विशेष रूप से अभियान चलाकर टीकाकरण का कार्य पूरा किया जा रहा है।
- (ज) AES नियंत्रणार्थ अभी तक विभिन्न विभागों के सहयोग से 2, 64, 071 व्यक्तियों को AES पर प्रशिक्षण दिया जा चुका है जिसमें स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों के अतिरिक्त जीविका दीदी, PRI सदस्य, आँगनवाड़ी सेविका एवं अन्य शामिल हैं।
- (झ) क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र शेखपुरा, पटना द्वारा विगत वर्ष की भाँति इस वर्ष भी 15 जून 2026 से Health Officials का प्रशिक्षण प्रस्तावित है। Health Official एवं चिकित्सकों का AES पर प्रशिक्षण, पूर्व की भाँति अगले वर्ष भी किया जाएगा।
- (ञ) आशा को 1-15 वर्ष के बच्चों के सर्वे हेतु AES सर्वे पंजी सभी जिलों को उपलब्ध कराया गया है।
- (ट) मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी एवं पूर्वी चम्पारण में सध्या चौपाल के माध्यम से जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
2. स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त विभिन्न विभागों द्वारा AES नियंत्रणार्थ किए जाने वाले कार्यों का प्रस्तुतिकरण कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना द्वारा किया गया।
3. समीक्षा के क्रम में मुख्य सचिव, बिहार सरकार द्वारा निम्नवत् निदेश दिए गए:—



- i. PICU में भर्ती AES के मरीजों की चिकित्सा हेतु AIIMS, पटना द्वारा चिकित्सा पदाधिकारियों एवं Staff Nurse का प्रशिक्षण अविलम्ब पूरा किया जाय।

(अनुपालन— शिशु रोग विभाग, AIIMS, पटना, SPO- VBD, SPO-Child Health SHSB)

- ii. दर्पण प्लस एप पर चिकित्सा पदाधिकारियों की शत प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित की जाए।

(अनुपालन— कार्यपालक निदेशक, SHSB, संबंधित जिले के सिविल सर्जन)

- iii. जिन जिलों में JE I एवं JE II का अछादन कम है उन जिलों में विशेष अभियान चलाकर टीकाकरण का कार्य पूरा किया जाय। इसकी समीक्षात्मक बैठक सचिव, स्वास्थ्य विभाग की अध्यक्षता में दिनांक—25.06.2026 को आयोजित किया जाएगा।

(अनुपालन— कार्यपालक निदेशक, SHSB, निदेशक प्रमुख (प्रशासन) स्वास्थ्य सेवाएँ)

- iv. जन आरोग्य समिति/Village Health, Sanitation & Nutrition Committee (VHSNC)/ शहरी क्षेत्रों में महिला आरोग्य समिति (MAS) की बैठकों में AES के प्रचार-प्रसार पर चर्चा की जाय।

(अनुपालन— कार्यपालक निदेशक, SHSB, जिले के सिविल सर्जन)

- v. सभी जिले AES के District Task Force एवं Block Task Force की बैठक करते हुए AES नियंत्रणार्थ तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इसके लिए AES का Check List मुख्य मलेरिया कार्यालय, पटना के स्तर से तैयार कर जिलों को पूर्व में ही भेजा जा चुका है।

(अनुपालन— सभी जिलों के जिला पदाधिकारी एवं सिविल सर्जन)

- vi. State Task Force के सदस्य के रूप में विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव अपने स्तर से जिला स्तर सभी जिला पदाधिकारी को इस आशय की सूचना प्रेषण करेंगे कि अपनी निधि (Fund) से चमकी को धमकी का शपथ पत्र का दीवार लेखन सभी सरकारी भवनों में करेंगे।

(अनुपालन— State Task Force के सदस्य वाले विभागों के प्रधान, सभी जिला पदाधिकारी)

- vii. AES नियंत्रणार्थ ये आवश्यक है कि सभी ASHA दीदी एवं सभी ऑगनबाडी केन्द्रों पर Paracetamol एवं ORS की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता रहनी चाहिए।

(अनुपालन— सभी जिलों के सिविल सर्जन)

- viii. सभी जिला स्तर के संबंधित विभाग अपने स्तर से सिविल सर्जन से समन्वय स्थापित कर प्रखंड एवं ग्राम स्तर के पदाधिकारियों एवं कर्मियों का AES पर प्रशिक्षण सुनिश्चित करेंगे जिसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जा रही सुविधाओं का विस्तार से वर्णन हो। इसका अनुश्रवण जिला पदाधिकारी करेंगे।

(अनुपालन— सभी जिला पदाधिकारी, सभी सिविल सर्जन)

- ix. जीविका दीदी द्वारा ग्राम स्तर पर AES नियंत्रणार्थ ASHA दीदी, ऑगनबाडी सेविकाओं, ग्रामिणों के साथ बैठक कर AES की रोकथाम हेतु प्रचार प्रसार करेंगी।

(अनुपालन— ग्रामीण विकास विभाग, सभी जिला पदाधिकारी)

- x. पचायती राज पदाधिकारियों द्वारा जिला, प्रखण्ड एवं पचायत स्तर पर स्वास्थ्य एवं शिक्षण की गठित विभिन्न समितियों/उप समितियों में AES नियंत्रणार्थ जन प्रतिनिधियों का Sensitization. AES नियंत्रणार्थ कार्ययोजना का निर्माण एवं क्रियान्वयन, सध्या चौपाल/रात्रि चौपाल का आयोजन अपनी निधि (Fund) से किया जाए।

(अनुपालन- पचायती राज विभाग, सभी जिला पदाधिकारी)

- xi. ग्राम स्तर तक विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक/आम सभा की बैठको में AES पर चर्चा करने हेतु जिलों को निदेश दिया जाए। मध्याह्न भोजन में प्रोटीनयुक्त भोजन की उपलब्धता, विद्यालयों की दिवारों पर चमकी की धमकी का शपथ पत्र का लेखन किया जाए। इसका अनुश्रवण सभी जिला पदाधिकारी करेंगे।

(अनुपालन- शिक्षा विभाग, बिहार सरकार एवं सभी जिला पदाधिकारी)

- xii. पेय जल में आर्सेनिक, फ्लोराइड, नाइट्रेट, आयरन एवं अन्य लवणता जैसे रासायनिक सक्रमण की जाँच करते हुए शुद्ध पेय जल की उपलब्धता प्रभावित क्षेत्रों में क्लोरीनेशन/ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग, नल के चारों ओर कंक्रीट का चबूतरा, जल निकासी का समुचित उपाय, पेय जल के फटे हुए पाइप का समुचित प्रबंधन हेतु Action Plan का क्रियान्वयन एवं जिला स्तर पर इसका प्रबंधन किया जाए।

(अनुपालन- PHED विभाग, सभी जिला पदाधिकारी)

- xiii. प्रभावित जिलों के पचायतों, विशेष कर महादलित टोलों में विकास मित्रों को AES का प्रशिक्षण एवं AES नियंत्रणार्थ सक्रिय सहभागिता ली जाए।

(अनुपालन- अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, सभी जिला पदाधिकारी, सभी सिविल सर्जन)

- xiv. यह पाया गया है कि कुपोषित बच्चों में AES होने की संभावना ज्यादा होती है। अतः जिलों में राशन कार्ड बनवाना, आवश्यकतानुसार Fortified Rice का वितरण PDS माध्यम से संसमय किया जाय।

(अनुपालन- खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, सभी जिला पदाधिकारी)

- xv. मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना अन्तर्गत वाहनों का Tagging एवं मोबाईल नम्बर के साथ जिलों के सिविल सर्जन कार्यालय के साथ समन्वय स्थापित करना, 102 एम्बुलेंस सेवा के साथ समन्वय स्थापित किया जाए।

(अनुपालन- परिवहन विभाग, सभी जिला पदाधिकारी, सभी सिविल सर्जन)

- xvi. AES के प्रचार-प्रसार हेतु मुख्य स्थानों पर होर्डिंग लगवाना, AES के Audio का प्रसारण एवं समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार का प्रकाशन कराना सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालन- सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, सभी जिला पदाधिकारी, सभी सिविल सर्जन)

उक्त सभी गतिविधियों का अनुश्रवण जिला पदाधिकारी करेंगे। AES की गतिविधियों की तैयारी हेतु Mock Drill किया जाए। किसी भी तरह की सहायता हेतु सीधे सचिव, स्वास्थ्य विभाग एवं

कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना से समन्वय स्थापित किया जाए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा AES की तैयारियाँ सतोषजनक पाई गई।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक 05:00 बजे अपराह्न में समाप्त की गई।

(कुमार रवि)

सचिव,

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

(प्रत्यय अमृत)

मुख्य सचिव,

बिहार

ज्ञापांक-11 / AES(विविध)-03 / 2025- 506 (11) /

दिनांक- 24.06.2026

- प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी, को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- सबधित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/परियोजना निदेशक/कार्यपालक निदेशक को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- सभी सबधित जिला के जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- निदेशक/विभागाध्यक्ष, शिशु रोग विभाग, एम्स पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- निदेशक प्रमुख, (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- अपर निदेशक-सह-राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, मुख्य मलेरिया कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

(सचिव)

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना